जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

पंचायती अखाड़ा, गया (बिहार), पिन–823001

Email : dietgaya@gmail.com

Website : www.dietgaya.com

काउन्सिलिंग संबंधी सूचना

डी0 एल0 एड0 प्रशिक्षण सत्र 2020-22 के निर्धारित 200 सीटों के विरूद्व चयन सूची संस्थान के वेबसाईट पर प्रकाशित कर दी गई है। नामांकन काउन्सिलिंग हेतु अभ्यर्थियों का चयन उनके नामांकन की गारंटी नहीं है। चयनित अभ्यर्थी **दिनांक 01/02/2021 (सोमवार) एवं 02/02/2021 (मगंलवार)** को प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक निम्न अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ संस्थान में नामांकन हेतु काउन्सिलिंग कराना सुनिचित करेंगे। निर्धारित तिथि तक नामांकन नही लेने की स्थिति में अभ्यर्थी का नामांकन दावा स्वतः समाप्त हो जाएगा। नामांकन हेतु चयनित अभ्यर्थी के प्रिंट आवेदन पत्र में प्रविष्टियों का उनके मूल प्रमाण पत्रों से सत्यापन के उपरांत **दिनांक 03.02.2021 (बुधवार) को अपराह्न 06:00 बजे तक** अनिवार्य रूप से निर्धारित शुल्क का बैंक डिमांड ड्रॉफ्ट जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

नामांकन काउन्सिलिंग के समय निम्न मूल प्रमाण-पत्रों के साथ संस्थान में स्वयं उपस्थित होंगें-

1. ऑनलाइन आवेदन प्रिंट की प्रति।
2. मैट्रिक परीक्षा पास करने का मूल प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र।
3. इंटर परीक्षा का मूल अंक एवं प्रमाण-पत्र।
4. आवासीय प्रमाण पत्र का मूल प्रति (एक वर्ष से अधिक पुराना न हो)।
5. आरक्षित कोटि एवं विषेश आवश्यकता वाले अभ्यर्थी सक्षम पदाधिकारी से निर्गत जाति/विकलांगता प्रमाण-पत्र की मूल प्रति।
6. अंतिम शिक्षण संस्थान से निर्गत महाविद्यालय परित्याग प्रमाण-पत्र (SLC/CLC)।
7. शिक्षण शुल्क के रूप में सामान्य, EWS, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी 11500/-(ग्यारह हजार पाँच सौ रूपये मात्र) एवं अनुसूचित जाति, जनजाति / दिव्यांग अभ्यर्थी 6000/-(छः हजार रूपये मात्र) शुल्क का भुगतान PRINCIPAL, DISTRICT INSTITUTE OF EDUCATION AND TRAINING, GAYA के नाम से राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक डिमांड ड्रॉफ्ट (जो कि गया में भुगतेय हो) के माध्यम से करेंगे।
8. सभी मूल प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति का दो सेट, तीन पासपोर्ट साईज रंगीन अद्यतन फोटोग्राफ एवं सभी मूल प्रमाण-पत्र एवं अभिलेख दो फोल्डर फाईल में जमा करेंगें।
9. उच्च योग्यताधारी उच्च योग्यता से संबंधित प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति भी जमा करेंगे।
9. सत्यापन के क्रम में प्रमाण पत्रों में फर्जी पाये जाने की स्थिति में नामांकन के दावे को रद्द करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
10. अभ्यर्थी द्वारा नामांकन शुल्क के रूप में जमा की गयी राशि किसी भी स्थिति मे वापस नही की जाएगी।
11. उपर्युक्त सभी शर्तो को पूरा करने पर आपका नामांकन औपबंधिक रूप से किया जायेगा।

नोटः-1. महाविद्यालय परित्याग प्रमाण-पत्र के साथ सभी मूल प्रमाण पत्र नामांकन के समय लाना अनिवार्य है।

नोटः–2. प्रथम सूची से नामांकंन के बाद यदि कोई सीट रिक्त रह जाती है, तो दूसरी सूची संस्थान के वेबसाईट पर दिनांक 05.02.2021 तक जारी की जायेगी।

नोटः–3. किसी भी आधिकारिक सूचना हेतु संस्थान की वेबसाईट : www.dietgaya.com एवं संस्थान के सूचना–पट्ट पर ही देखें।

29/01/2021

प्रभारी प्राचार्य

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, गया।